

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद



एक मुश्त समाधान योजना
(ओ0टी0एस0)

दिनांक 29.02.2012 तक लागू

8वाँ तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद-211001

दूरभाष - 2407833, 2408068, 2407289

विक्रय मूल्य- 25/-

फार्म भरने हेतु सामान्य जानकारी

1. शासन द्वारा प्रदत्त शासनादेश संख्या 3367/8आ0-1-11-01 विविध/2000 दिनांक 29.11.2011 के क्रम में प्राधिकरण अपने बकायेदारों को एक मुश्त धनराशि जमा करने पर दण्ड ब्याज की छूट का सुनहरा अवसर दिनांक 29.02.2012 तक दिया जा रहा है।
2. मूल्य का विवरण यदि सम्पत्ति परिवर्तित हुई है तो संशोधित विवरण अनुसार ही दें।
3. यदि सभी किश्तें एक समान हैं तथा उनकी देयता त्रैमासिक/मासिक/छःमाही/वार्षिक है तो क्रमांक-7 में भरें। यदि किश्तों की धनराशि अलग-अलग हैं अथवा देयता का समय मासिक/त्रैमासिक आदि अनुसार नहीं है या किश्तों की धनराशि अलग-अलग है, तो क्रमांक-8 भरें।
4. यह योजना केवल मूल्य के बारे में है। अन्य देयताएँ यथा- फ्रीहोल्ड, सर्विस चार्ज आदि यदि कोई हों, पर यह लागू नहीं है। उसका भुगतान सामान्य रूप में अलग से करना होगा।
5. ओ0टी0एस0 आवेदन पत्र के साथ स्वयं का नाम, पता तथा प्रत्येक पर 35रू0 का डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न कर प्रेषित करें, जिसमें ओ0टी0एस0 गणना सीट आपको प्रेषित की जा सके।
6. ओ0टी0एस0 हेतु प्रोसेसिंग फीस का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	सम्पत्ति का प्रकार	प्रोसेसिंग फीस (रू०)	ओ0टी0एस0 आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली प्रारम्भिक धनराशि (रू०)	अभियुक्ति
1	ई0डब्लू0एस0 भवन/भूखण्ड	100.00	5000.00	ओ0टी0एस0 आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धनराशि आगणित लागत/देय धनराशि में समायोजित हो सकेगी, परन्तु प्रोसेसिंग फीस ओ0टी0एस0 का मात्र शुल्क है, इसे किसी भी देय धनराशि में समायोजित नहीं किया जायेगा।
2	एल0आई0जी0 भवन/भूखण्ड	500.00	10000.00	
3	अल्य श्रेणी की आवासीय एवं मिक्सड लैण्डयूज की सम्पत्तियों तथा व्यावसायिक निर्मित दुकानों व दुकानों के भूखण्डों पर	1000.00	25000.00	
4	गुप हाउसिंग	5000.00	100000.00	
5	संस्थागत सम्पत्तियाँ	5000.00	100000.00	
6	क्रम संख्या-3 के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यावसायिक सम्पत्तियों पर	5000.00	100000.00	

1.0212 तक लागू होगी।

8. ओ0टी0एस0 सुविधा समस्त प्रकार के आवासीय, गुपहाउसिंग, सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्ति, स्कूल भूखण्डों तथा समस्त प्रकार की व्यावसायिक सम्पत्तियों पर लागू होगी।
9. ओ0टी0एस0 आवेदन पत्र जमा करने की तिथि वह मानी जायेगी, जिस तिथि को आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस तथा प्रारम्भिक धनराशि जारी कर दी गयी हो।
 - 8.1 वांछित धनराशि का 1/2 भाग मांग पत्र के Date of Dispatch से 30 दिन के अन्दर और अवशेष 1/2 भाग 60 दिन के अन्दर जमा करना होगा।
 - 8.2 यदि कोई आवंटी 30 दिन के अन्दर 1/2 धनराशि जमा न करके 30 दिन के बाद और 60 दिन के पहले सम्पूर्ण धनराशि जमा कर देता है, तो भी उसे ओ0टी0एस0 का लाभ प्राप्त होगा, किन्तु 30 दिन के बाद विलम्ब की अवधि हेतु 15 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।
10. ओ0टी0एस0 योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा (Surplus) धनराशि आती है, तो उस धनराशि का समायोजन रजिस्ट्री सम्बन्धी अन्य व्ययों जैसे— फ्रीहोल्ड चार्ज, वाटर सीवर चार्ज एवं अन्य व्ययों में किया जा सकेगा। इसके बावजूद भी यदि (Surplus) धनराशि बचती है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा।

संयुक्त सचिव/प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति

